

ज़मानत

विभा शुक्ला

दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में भी वह सबेरे-सबेरे घाट पर पहुंच जाता और दोपहर तक कपड़े धोता। शाम तक सूखे कपड़े लेकर वापस लौटता और प्रेस करता।

उसे घुटनों तक पानी में चार-पांच घण्टे खड़ा रहना पड़ता था, इसलिए थोड़ी सी कच्ची पी लेता था। शराब की गर्मी उसे ठण्डे पानी में खड़े रहने की शक्ति देती थी।

उसकी आयु उन्नीस-बीस वर्ष की होगी। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी हुई थी।

एक दिन एक सिपाही आया और धोबी को घाट

से पकड़ ले गया। उस पर शराब पीकर सड़क पर दंगा-फसाद करने का आरोप था।

धोबी को छोड़ने के लिए अनेक सगे सम्बन्धी और रिश्तेदार गए, लेकिन थानेदार ने उनकी ज़मानत नहीं ली। सब परेशान थे कि क्या करें?

शाम को सात बजे धोबिन को आवश्यक पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। सबके मना करने पर भी धोबिन वहां चली गई।

थानेदार ने उससे रात भर पूछताछ की और सबेरे धोबिन की ज़मानत पर धोबी को छोड़ दिया गया। □